प्राइमरी

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
चन्दौली।

प्रबन्धक
आर०एम०एस० एकेडमी
चन्दौली

पत्रांक : / मान्यता 388-89 / 2005–06 / दिनांक 15-05-07

विषय–प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 984/15-6-90-1[illegible] दिनांक [illegible] उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद [illegible] 1996 के [illegible] जिला मान्यता समिति [illegible] 5 तक) की अस्थायी मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :

1– सम्बन्धित विद्यालय अपने स्वामित्व में भवन विकसित करेंगे।

2– प्रबन्धतंत्र सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति करने के लिए इस कार्यालय से अनुमोदन अवश्य कराना सुनिश्चित करें। अप्रशिक्षित अध्यापकों को कदापि अनुमन्य नहीं किया जायेगा। अप्रशिक्षित अध्यापकों को तत्काल हटाकर उनके स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जाय।

3– नियमानुसार मानक के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक सहित कुल 5 शिक्षक अनुमन्य होंगे। प्राथमिक विद्यालय में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी का कोई पद अनुमन्य नहीं है।

4– विद्यालय में विभागीय पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापन कार्य किये जायेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शिक्षा कदापि न दी जाय।

5– छात्रों से नियमानुसार रू0 15/– (रूपये पन्द्रह) मात्र ही शुल्क लिए जाये और प्रत्येक निधियों का खाता/पासबुक खोलकर जमा किया जाय तथा उसका लेखा–जोखा आदि रखा जाय।

6– छात्रों के खेलने हेतु मैदान की व्यवस्था किया जाय।

7– विद्यालयप्रबन्धाधिकरण का यह दायित्व होगा कि वे सभी शर्तों को पूर्ण कर निर्धारित अवधि के मध्य स्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समयान्तर्गत प्रस्तुत करे।

8– संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण होना नितान्त आवश्यक है।

9– विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता किसी भी समय प्रत्याहरित कर ली जायेगी जिसका सम्पूर्ण विधि उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(राकेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।

पृष्ठांक : मान्यता / 2005–06 दिनांक : उसी तिथि को

प्रतिलिपि– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सकलडीहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।

Principal
R.M.S. ACADEMY
Amara-Chandauli

Manager
R M S ACADEMY
Amara-Chandauli

[illegible]

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती।

सेवा में,

प्रबन्धक

आर० एम० एस० [illegible]

....

बस्ती।

पत्रांक/मान्यता/ 2775-78 /2008-2009 दिनांक:- 28-7-09

विषय:-जूनियर हाईस्कूल की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एस0[7]/89 दिनांक 13 अगस्त 1997 के प्राविधानान्तर्गत मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल[कक्षा 6 से 8तक]कीअस्थायी मान्यता अग्रिम निर्गत होने कीतिथि से निर्गत की जाती है।स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करने पर तभी विचार कियाजायेगा जब नियमानुसार विद्यालय स्थायी मान्यता की शर्तों को पूरा करेगा।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में निहित निर्देशानुसार विद्यालय मेंनिम्नवत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य किये जाते हैं जिसके शासनादेशानुसार चयन के माध्यम से नियुक्ति कर इस कार्यालय से उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाना बाध्यकारी है।

क्र०सं०	सृजित पद	संख्या
-1-	-2-	-3-
1.	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	1[एक]
2.	सहायकअध्यापिका	4[चार]जिसमें एक विज्ञान/गणित स्नातक का होगा
3.	लिपिक	1[एक]
4.	परिचारक	1[एक]
	कुल	7[सात]

शासकीय एवं विभागीय निर्देशों के उल्लंघन करने तथा मान्यता संबंधी कोई भी सूचना/तथ्य छिपाये जाने अथवा असत्य पाये जाने पर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्वसंबंधित संस्थाधिकारी का होगा।

भवदीय

[रवीन्द्र सिंह]
जिलाबेसिकशिक्षाअधिकारी
बस्ती।

......पृ0......

पृष्ठांकन/ बा0शि0/ /2008-2009 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

3- सम्बन्धित सह0जि0वि0नि0/उप वि0 निरीक्षक, चन्दौली।

(रवीन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।